राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ.3(1)1/एनएसएस/डीईएस/74/सामान्य/2017/63703 दिनांक:— 31-05-2017

परिपत्र

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, भारत सरकार के दिशा—निर्देशन में आयोजित किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण एवं समयबद्ध सर्वे कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना एवं नीति निर्धारण हेतु इसके प्रत्येक दौर में किसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विषय पर आवश्यक समंक एकत्र करने के लिए इस सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है जिसे निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। क्षेत्र सर्वे कार्य समय पर नहीं होने से समय विशेष में समक एकत्र किये जाने वाले सर्वे का औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रत्येक दौर हेतु निर्धारित अनुसूचियों में गुणवत्तापूर्ण सूचना संकलित कर निश्चित समयावधि में ही सर्वे कार्य पूर्ण किया जाने की आवश्यकता है।

1. प्रत्येक प्रतिदर्श के क्षेत्र कार्य के लिए आवंटित कार्य दिवसों में निरन्तरता आवश्यक है। प्रतिदर्श क्षेत्र कार्य अवधि के मध्य में आये राजकीय अवकाश स्वीकृत नहीं माने जायें। अर्थात् इन अवकाशों में भी सर्वे कार्य किया जायेगा।
2. प्रतिदर्शों के कार्यभार को देखते हुए प्रत्येक दौर के ग्रामीण व शहरी प्रतिदर्श के सर्वे कार्य की अवधि निदेशालय स्तर से निर्धारित की जायेगी।
3. ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों पर पदस्थापित सभी सांख्यिकी निरीक्षक व संगणक आवंटित प्रतिदर्शों का क्षेत्रकार्य निश्चित समयावधि में ही सम्पन्न करें।
4. जिले में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य देख रहे सांख्यिकी निरीक्षक / संगणक को भी आवश्यकतानुसार सर्वे कार्य आवंटित किया जावे। जिन ब्लॉक में सांख्यिकी निरीक्षक / संगणक का पद रिक्त है, वहाँ आसपास के ब्लॉक पर कार्यरत सांख्यिकी निरीक्षक व संगणक से अथवा जिला मुख्यालय पर कार्यरत सांख्यिकी निरीक्षक व संगणक से कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. सर्वे कार्य करने वाले जिला एवं ब्लॉक कार्यालय के सांख्यिकी निरीक्षक व संगणक प्रत्येक माह का यात्रा कार्यक्रम बनाकर सम्बन्धित उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदन पश्चात् उसकी प्रतियाँ जिला कार्यालय, सम्बन्धित पर्यवेक्षक व निदेशालय को ई—मेल द्वारा पिछले माह की 15 तारीख तक अवश्य ही भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. उपनिदेशक / सहायक निदेशक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से सम्बन्धित अपने यात्रा कार्यक्रम को निदेशालय अनुमोदन हेतु प्रेषित करें।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य की मॉनिटरिंग व संवीक्षा—

1. संभाग स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य के लिए चिन्हित सहायक सांख्यिकी अधिकारी (पर्यवेक्षक) अपने जिले एवं संभाग के अधिनस्थ जिलों के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग करेंगे। किसी जिला स्तर पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक नहीं होने पर उस जिले की समस्त प्रतिदर्श अनुसूचियों की संवीक्षा भी संभाग वृत्त के एन.एस.एस पर्यवेक्षक द्वारा की जायेगी।
2. सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद ब्लॉक कार्यालय के सांख्यिकी निरीक्षक व संगणक भरी हुई प्रतिदर्श अनुसूचियों को जाँच हेतु अपने जिला स्तर के आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय में प्रेषित करेंगे, जहाँ जिले के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य के लिए

चिन्हित सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक इन भरी हुई प्रतिदर्श अनुसूचियों की संवीक्षा कर इन्हें संभाग स्तर पर संवीक्षा हेतु पर्यवेक्षक को प्रेषित करेंगे।

सर्वे निरीक्षण के मापदण्ड–

1. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अपने ब्लॉक में आवंटित प्रतिदर्शों में से कम से कम एक प्रतिदर्श का तथा मुख्यालय पर आवंटित प्रतिदर्शों में से शत–प्रतिशत प्रतिदर्शों का निरीक्षण करेंगे।
2. जिले के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक / सहायक निदेशक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के किसी दौर के प्रत्येक उपदौर में किसी भी एक ब्लॉक के सांख्यिकी निरीक्षक / संगणक का एक ग्रामीण व एक शहरी प्रतिदर्श तथा मुख्यालय के शहरी खण्ड के सभी स्थानीय प्रतिदर्शों का शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।
3. जिले के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक / सहायक निदेशक कार्यालय पर पदस्थापित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य के लिए चिन्हित सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रत्येक उपदौर में प्रतिदर्श सर्वे हेतु क्षेत्र विशेष के प्रत्येक ब्लॉक के सांख्यिकी निरीक्षक / संगणक का एक ग्रामीण व एक शहरी प्रतिदर्श तथा मुख्यालय के शहरी खण्ड के सभी स्थानीय प्रतिदर्शों का शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।
4. संभाग स्तर पर पर्यवेक्षक अपने वृत्त के सभी जिलों के प्रत्येक उपदौर में किसी एक ब्लॉक के सांख्यिकी निरीक्षक / संगणक का एक ग्रामीण व एक शहरी प्रतिदर्श के सर्वे कार्य का निरीक्षण करेंगे।
5. सम्बन्धित जिले के उप / सहायक निदेशक, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पर्यवेक्षक व सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रत्येक दौर के क्षेत्र कार्य का निरीक्षण करने से पूर्व अपना प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम निदेशालय को ई–मेल द्वारा सात दिवस पूर्व प्रेषित करेंगे तथा निरीक्षण कार्य रिपोर्ट की एक प्रति निदेशालय को तीन दिवस बाद ई–मेल (**jdnss.des@rajasthan.gov.in**) द्वारा प्रेषित करेंगे।
6. प्रत्येक दौर के लिए एक प्रतिशत प्रतिदर्शों की निदेशालय स्तर पर एन.एस.एस से सम्बन्धित अधिकारी व शाखा के कार्मिकों द्वारा सर्वे कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
7. निदेशालय मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी जिलों के भ्रमण के दौरान एन.एस.एस सर्वे कार्य के प्रतिदर्शों की मौके पर जाँच करेंगे।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.3(1)1 / एनएसएस / डीईएस / 74 / सामान्य / 2017 / 69710 दिनांकः– 31-05-2017

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव।
2. उप / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला...................... ।
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय समस्त।

संयुक्त निदेशक (एन.एस.एस)